न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 19/2019
निर्णय दिनांकः 8/4/2022

1. श्रीमती अमीता महमवाल पत्नी स्व श्री मनमोहन महमवाल निवासी 4/89 जवाहर नगर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मोहित महमवाल पुत्र स्व श्री मनमोहन महमवाल हाल निवासी–बी–17 न्यू कॉलानी जयपुर। हाल पता 4/89 जवाहर नगर, जयपुर।
2. नेहा दक पत्नी श्री रोहित दक पुत्री स्व श्री मनमोहन महमवाल निवासी–महावीर ओथोपेडिक हॉस्पिटल नीमच जिला मनसौर मध्य प्रदेश।
3. श्रीमती विमला महमवाल पत्नी स्व श्री मंगतुराम महमवाल निवासी मुम्बई हाल निवासी बी–17 न्यू कॉलानी जयुपर। हाल पता 4/89 जवाहर नगर, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद दुरूस्ती, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिया के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र मनमोहन पुत्र स्व श्री मंगतुमल के नाम से आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 2.80 हैक्टेयर ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें हिस्सा 86/288 जिसमें मनमोहन की विरासत नामान्तकरण संख्या 1630 तथा नामान्तकरण संख्या 1648 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे हिस्सा 58/288 भी मनमोहन के नाम स्वीकृत होने के बाद मनमोहन की विरासत नामान्तकरण संख्या 1661 हुआ है।

वादीया के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र मनमोहन पुत्र स्व श्री मंगतुमल के नाम से आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 0.01 हैक्टेयर ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें जिसमें मनमोहन की विरासत नामान्तकरण संख्या 1630 तथा नामान्तकरण संख्या 1648 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे हिस्सा 1/6 भी मनमोहन के नाम स्वीकृत होने के बाद मनमोहन की विरासत नामान्तकरण संख्या 1661 हुआ है। वादीया अधिकारी है कि नामान्तकरण संख्या 1825 कें अनुसार ही नामान्करण संख्या 1661 को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 199, 198 स्थित ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर को अपने हक व अधिकार तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उप0, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की ओर से पत्रावली में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश है। जिस पर जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श–1 है, तथा नामान्तकरण संख्या 1661 दिनांक 20.06.2016 पर प्रदर्शी–2 अंकित है। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 1825 कें अनुसार नामान्तकरण संख्या 1661 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 व 198 स्थित ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में नामान्तकरण संख्या 1661 के हिस्सा 58/288 में वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 है तथा खसरा नम्बर 198 में हिस्सा 1/6 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 बराबर 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती विमला महमवाल स्वर्गीय मनमोहन की माता है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के बराबर हिस्सा अधिकार है।

अतः वादिया की ओर से पेश वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में नामान्तकरण संख्या 1661 के हिस्सा 58/288 में वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्स 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 है तथा खसरा नम्बर 198 में हिस्सा 1/6 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 बराबर 1/4 हिस्सा का खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाता है तथा दावा डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/4/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

Jul 26, 2022, 18:43